


# दुनिधारी विशेष विकास क्षेत्र महायोजना 2031

मीटर

80    40    0    80    160    240    320    400

पैमाना



# प्रस्तावित भू-उपयोग मानचित्र सेक्टर थानो

## केतिका

- |  |  |
|--|--|
| <b>आवासीय (R)</b>  | <b>(8) परिवहन (T)</b>  |
|  निर्मित क्षेत्र              |  वर्तमान मार्ग            |
|  आवासीय क्षेत्र               |  प्रस्तावित मार्ग विस्तार |
|  मिश्रित                      |  प्रस्तावित मार्ग         |
| <b>व्यवसायिक (C)</b>   |  रेलवे लाईन / क्षेत्र     |
|  व्यवसायिक                    |  ट्रक अड्डा               |
| <b>औद्योगिक (M)</b>  | <b>अन्य</b>  |
|  औद्योगिक                     |  सेक्टर क्षेत्र सीमा      |
| <b>सार्वजनिक / अर्द्ध सार्वजनिक (PSP)</b>  |  अपरिभाषित क्षेत्र        |
|  सार्वजनिक / अर्द्ध सार्वजनिक |  नदी / नाले               |
| <b>मनोरंजन (P)</b>   |  |
|  मनोरंजन                      |  |
| <b>कृषि (A)</b>  |  |
|  कृषि                         |  |
| <b>विशेष क्षेत्र (S)</b>   |  |
|  उद्यान / वृक्षारोपण          |  |
|  चाय बागान                    |  |
|  जंगल                         |  |

## सिद्धान्त

- योजना एक Broad Landuse Document है। ना छोटा होने के कारण महायोजना में प्रमुख भू-उपयोगों के ही प्रस्ताव दिये जाते हैं। योजना के प्रमुख भू-उपयोगों की अग्रेत्तर detailing व जोनल स्तर के भू-उपयोग के प्रस्ताव नल प्लान में दिये जाते हैं।

निर्धारित भू-उपयोग के प्रस्ताव नीति पर आधारित है, ऐतगत भू-स्वामित्व तथा सजरा मानचित्र पर आधारित नहीं है। घाटी महायोजना-2031 में वर्गीकृत भू-उपयोगों को यू0डी0पी0एफ0आई0 गाइडलाईन्स के सार प्रमुख भू-उपयोग श्रेणियों के अन्तर्गत रखा गया है।

विधित महायोजना GIS आधारित मानचित्र पर यथासम्भव यथारूप तैयार किये गये हैं। योजना-2031 मानचित्र एवं GIS आधारित अद्यावधिक बेस मैप में मूल अन्तर होने के कारण ऐन्स भू-उपयोगों एवं परिसरों के आकार, डाइमेन्शन एवं फीचर्स / मार्ग आदि के संरेखण में अन्तर होना स्वाभाविक है।

द आकार के विभिन्न परिसरों को GIS आधारित मानचित्र में प्रदर्शित अनुसार दर्शाते हुये गा में संशोधन किया गया है। छोटे आकार के विद्यमान परिसर, जिनका सुस्पष्ट ड्राफिटिंग योजना स्तर पर सम्भव नहीं है, को मानचित्र में चिन्हित नहीं किया गया है। अंत पर इनकी वास्तविक स्थिति अनुसार परिसर सीमा मानी जायेगी।

विभाग से प्राप्त आरक्षित वन भूमि के अभिलेखों व आधार मानचित्र के मापक लगभग समान होने के दृष्टिगत वन सीमा को यथासम्भव सही लगाया गया है।

नी भी प्रमुख भू-उपयोग श्रेणी में मौके पर आरक्षित वन होने की स्थिति में सम्बन्धित स्थल के क्षेत्र के अन्तर्गत माना जायेगा। निजी भूमि से लगी वन क्षेत्र की सीमा अथवा vice versa स्थिति होने पर ऐसे क्षेत्रों के एकल प्रकरणों में आवश्यकतानुसार वन विभाग से पुष्टि उपरान्त उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा।

ब्र मार्गों पर प्रस्तावित व्यवसायिक क्षेत्रों को उनके निर्धारित औसत गहराई, स्थान, र्ग के नाम एवं प्रस्तावित मार्गाधिकार के विवरण सहित महायोजना प्रतिवेदन के परिशिष्ट में विबद्ध किया गया है।

योजना में प्रस्तावित मार्गों/एक्सप्रेस-वे आदि के एलाइनमेन्ट को यथासम्भव यथारूप रखा है। परन्तु विद्यमान मार्गों को GIS आधारित आधार मानचित्र में प्रदर्शित विद्यमान मार्ग इनमेन्ट के अनुसार रखा गया है।

योजना प्रतिवेदन में वर्णित नदी-नालों, जिनके किनारे की भूमि में नदी की ओर 10-10 मीटर दूरी पर हेतु छोड़ा जाना है, को महायोजना मानचित्र में प्रदर्शित नहीं किया गया है। प्राविधान को बायलॉज द्वारा सुनिश्चित किया जा सकेगा।

रोकतानुसार किये गये संशोधन अन्तर्गत मानचित्र में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे ड्राफिटिंग त्रुटि मानते हुये महायोजना में संशोधन समझा जायेगा।

आयुक्त, गढ़वाल मण्डल

प्रमुख सचिव, वित्त सदस्य	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक सदस्य
-----------------------------	-------------------------------------

सदस्य सदस्य

# तराखड द्वारा प्रस्तुत

# नूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण देहरादून, उत्तराखण्ड द्वारा प्रस्तुत